



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 2013/ज्येष्ठ 7, 1935

No. 257]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 2013/JYAISTHA 7, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 5 मार्च, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)
(छठा संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 341(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (छठा संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे ।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू माने जायेंगे ।

2. अनुसूची 1 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, अनुसूची 1 में,

(i) मौजूदा संलग्नक “डी” हटा दिया जाएगा ।

(ii) मौजूदा संलग्नक “एफ” हटा दिया जाएगा ।

(iii) पैराग्राफ 9(1)(बी) में “फार्म एफसी-जीपीआर में रिपोर्ट” शब्द “फार्म एफसी-जीपीआर जैसाकि रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किया जाए, में रिपोर्ट” शब्दों से प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(iv) पैराग्राफ 10(i) में “इस अनुसूची के संलग्नक ‘एफ’ में विनिर्दिष्ट फार्म एफसी-टीआरएस में रिपोर्ट” शब्द “फार्म एफसी-टीआरएस, जैसाकि रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किया जाए, में रिपोर्ट” शब्दों से प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(v) पैराग्राफ 10 का उप-पैराग्राफ (ii) हटा दिया जाएगा ।

[अधिसूचना सं. फेमा. 266/2013-आरबी]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 8 मई, 2000 के सा.का.नि. सं. 406(अ) के जरिए प्रकाशित और तदुपरांत निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई थी :—

02-03-2001 के सं. सा.का.नि. 158(अ),
 13-03-2001 के सं. सा.का.नि. 175(अ),
 14-03-2001 के सं. सा.का.नि. 182(अ),
 02-01-2002 के सं. सा.का.नि. 4(अ),
 19-08-2002 के सं. सा.का.नि. 574(अ),
 18-03-2003 के सं. सा.का.नि. 223(अ),
 18-03-2003 के सं. सा.का.नि. 225(अ),
 22-07-2003 के सं. सा.का.नि. 558(अ),
 23-10-2003 के सं. सा.का.नि. 835(अ),
 22-11-2003 के सं. सा.का.नि. 899(अ),
 07-01-2004 के सं. सा.का.नि. 12(अ),
 23-04-2004 के सं. सा.का.नि. 278(अ),
 16-07-2004 के सं. सा.का.नि. 454(अ),
 21-09-2004 के सं. सा.का.नि. 625(अ),
 08-12-2004 के सं. सा.का.नि. 799(अ)
 01-04-2005 के सं. सा.का.नि. 201(अ),
 01-04-2005 के सं. सा.का.नि. 202(अ),
 25-07-2005 के सं. सा.का.नि. 504(अ),
 25-07-2005 के सं. सा.का.नि. 505(अ),
 29-07-2005 के सं. सा.का.नि. 513(अ),
 22-12-2005 के सं. सा.का.नि. 738(अ),
 19-01-2006 के सं. सा.का.नि. 29(अ),
 11-07-2006 के सं. सा.का.नि. 413(अ),
 14-11-2007 के सं. सा.का.नि. 712(अ),
 14-11-2007 के सं. सा.का.नि. 713(अ),
 29-11-2007 के सं. सा.का.नि. 737(अ),
 05-08-2008 के सं. सा.का.नि. 575(अ),
 30-12-2008 के सं. सा.का.नि. 896(अ),
 01-12-2009 के सं. सा.का.नि. 851(अ),
 21-04-2010 के सं. सा.का.नि. 341(अ),
 03-08-2012 के सं. सा.का.नि. 606(अ),
 10-11-2012 के सा.का.नि. 821(अ),
 30-10-2012 के सं. सा.का.नि. 796(अ),
 30-10-2012 के सं. सा.का.नि. 797(अ),
 31-12-2012 के सं. सा.का.नि. 945(अ),

30-10-2012 के सं. सा.का.नि. 795(अ),
 31-12-2012 के सं. सा.का.नि. 946(अ),
 के सं. सा.का.नि.(अ),
 22-01-2013 के सं. सा.का.नि. 38(अ),
 के सं. सा.का.नि.(अ),
 के सं. सा.का.नि.(अ), और
 के सं. सा.का.नि.(अ) ।

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th March, 2013

**Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India)
 (Sixth Amendment) Regulations, 2013**

G.S.R. 341(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.20/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:

1. Short Title and Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Sixth Amendment) Regulations, 2013.

(ii) They shall come into force from the date of publication in Official Gazette.

2. Amendment of Schedule 1

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), in Schedule 1,

- (i) the existing Annex D shall be deleted.
- (ii) the existing Annex F shall be deleted.
- (iii) In Paragraph 9 (1) (B), for the words, “a report in form FC-GPR”, the words “a report in the form FC-GPR as specified by the Reserve Bank from time to time” shall be substituted.
- (iv) In Paragraph 10 (i), for the words “a report in the form FC-TRS specified in Annex F to this Schedule”, the words, “a report in the form FC-TRS, as specified by the Reserve Bank from time to time.” shall be substituted.
- (v) Sub-paragraph (ii) of Paragraph 10 shall be deleted.

[Notification No. FEMA. 266/2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide Nos. G.S.R. 406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under :—

G.S.R. No. 158(E) dated 02.03.2001
 G.S.R. No. 175(E) dated 13.03.2001
 G.S.R. No. 182(E) dated 14.03.2001
 G.S.R. No. 4(E) dated 02.01.2002
 G.S.R. No. 574(E) dated 19.08.2002
 G.S.R. No. 223(E) dated 18.03.2003
 G.S.R. No. 225(E) dated 18.03.2003
 G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003

G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012
G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 945(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 946(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. _____ dated _____,
G.S.R.No.38(E) dated 11.01.2013
G.S.R.No. _____ dated _____,
G.S.R.No. _____ dated _____ and
G.S.R.No. _____ dated _____.